

निर्णय बर्डजलास श्री निकया गोहाएन आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० 46/अपील/20

तारिख दायरा: 25.09.2020

अमरलाल आ० भैरूलाल जाति भील नि० असनावर तहसील असनावर(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें क्षेत्रिय वन अधिकारी असनावर

(रेस्प०)



अपील बनाराजगी फेसला सहायक वन संरक्षक झालावाड़/पिडावा दिनांक 23.10.2018
मिसल न० 45/18

उपस्थित— श्री देवेन्द्र व्यास अभिभाषक अपीलान्ट

—: निर्णय :-

दिनांक: 06.10.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक झालावाड़ के आदेश दिनांक 23.10.2018 जो मिसल न० 45/असनावर/18 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को वनखण्ड तलवाडिया ग्राम असनावर की आराजी ख०न० 1497 रकबा 25 गुना 50 वर्ग फीट पर अतिक्रमण कर मकान बनाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर रु० 1100/- शास्ति एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रह सार तथा कानून के विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है अपीलान्ट 70 वर्षीय गरीब भील समाज का सदस्य है, अतिक्रमण गलत बताया गया है अपीलान्ट पूर्वजों की जमीन कब्जेधारी है तथा उसने मकान बना रखा है उसका सनातनी समय का कब्जा है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील को निरस्त फरनाया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। परोकार वन विभाग उपस्थित नहीं।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए अगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर सनातनी कब्जा है, अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। परोकार वन विभाग के उपस्थित नहीं होने पर उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा जिस आराजी पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है वह भूमि न्यायालय सहायक वन संरक्षक झालावाड़ के निर्णय अनुसार राजस्थान सरकार के राज पत्र में विज्ञप्ति संख्या एफ 6(408) रा.क.62 दिनांक 29.12.1962 को अंतिम घोषणा पत्र में प्रकाशित कर आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उक्तानुसार सहायक वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा मिसल न० 45/असनावर/18 निर्णय दिनांक 23.10.2018 में आरोपित शास्ती व 30 दिवस सिविल कारावास की सजा में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी जो आरक्षित वन घोषित है पर से कब्जा भी नहीं हटाया गया है, इस निर्णय के माध्यम से अपीलान्ट को किसी तरह की राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़